फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें) (इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम: 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) वित्तीय वर्ष: 2015-2016
(धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)

आयोजनेतर आवेदन-पत्र देने के

दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर

उपलब्ध बचत सक्रंमित की जाने

वाली धनराशि वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग

(2 - 5)

1 2 3 4 5 6

' ' 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाऐं-आयोजनेतर-

800-अन्य व्यय-03-प्रादेशिक विकास दल ' '

26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र

1320

225

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

225

225

1095

योगः 1320 225 225 225 1095

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)

आयोजनेतर वित्तीय वर्ष के

लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय संक्रमण हेतु

प्रस्तावित धनराशि

(9 - 8) वित्त विभाग द्वारा

अनुमोदित संक्रमण

की धनराशि संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8 ः 11)

7 8 9 10 11 12

' ' 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाऐं-800-अन्य व्यय-

03-प्रादेशिक विकास दल ' '

44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय

50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

275

225

225

275

योगः 50 275 225 225 275

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैः- सम्बन्धित मानक मद में मांग में कमी के कारण।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से हैः-शासन स्तर से विभागाध्यक्ष को प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित मानक मद में बजट प्रावधान कम होने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्याःआरई-69/दस, दि0- 01 सितम्बर, 2015

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

ह0/-

ह0/-

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)

(राम किशोर पाण्डेय)

संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

युवा कल्याण विभाग।

वित्त विभाग।

-2-

-2-

संख्या 1417/पचास-यु0क0-2015-17(बजट)/2014., दिनांकः 01 सितम्बर,, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1- महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (नियंत्रक अधिकारी)

2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ

3- निदेशक, वित्तीय संाख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

ह0/-

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव,

युवा कल्याण विभाग ।

अनुदेश

(1) प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत मतदेय और भारित व्यय से सम्बन्धित पुनर्विनियोगों के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए। भारित व्यय से सम्बन्धित प्रस्तावों में लेखा शीर्ष के साथ कोष्ठक में शब्द ''भारित ' ' अंकित कर दिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) जिन लेखा शीर्षाेंं में प्रभाव पड़ेगा, उनका वर्णन ब्यौरेवार अनुमानों और अनुदानों में दिए हुए वर्णन के अनुरूप होना चाहिए।

(3) कालम-2 तथा 8 में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोगों की धनराशि, जो प्रस्तावित पुनर्विनियोग के दिनांक तक सम्बन्धित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत यथाविधि स्वीकृत हुए हों, को सम्मिलित किया जाय।

(4) प्रपत्र के कालम-5, 6 व 11, 12 में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोग अंकित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।